न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –42/2023 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2023/230

1. कोमल चन्द आत्मज बालचन्द जाति जैन
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र बालचन्द जाति जैन
   निवासीगण ढाबा गेस्ट हाउस के पीछे, रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. गोपाललाल आत्मज देवीलाल
2. मोहनलाल आत्मज देवीलाल
3. चेतन आत्मज तुलसीराम
4. नरेश पुत्र तुलसीराम
5. पार्वती पत्नी तुलसीराम
6. ममता पुत्री तुलसीराम
7. सूरज पुत्र तुलसीराम
8. श्याम सुन्दर पुत्र कन्हैयालाल
9. पार्वती पुत्री कन्हैयालाल
10. सीमा पुत्री कन्हैयालाल
11. सजन बाई पत्नी कन्हैयालाल
    जाति माली निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 14.07.2023 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा बउनवान गोपाललाल वगै0 बनाम कोमलचन्द वगै0 प्रकरण संख्या 11/2018 कार्यवाही अन्तर्गत धरा 251 रा0टी0ए0

उपस्थितः–
1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नितेश वर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 12.08.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 के सम्बन्ध में अपने प्रकररण संख्या 11/2018 में दिनंक 14.7.2023 को निर्णय पारित किया है कि "प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम खैराबाद की भूमि खसरा नं0 1710 में से खसरा नं0 3427/1711 से लगवा पूर्व में प्रचलित पारम्परिक रास्ता खसरा नं0 1771 से होकर खसरा नं0 1709 तक खुलासा करवाया जावें ।"

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा के उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.08.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 1710 की भूमि वाके ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी की उपरोक्त भूमि में अथवा मेड के सहारे कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टान की उक्त भूमि को अथवा उसके किसी हिस्से को कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में नहीं लिया है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान की भूमि में रास्ता खुलासा कराये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत, अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्टगण की ओर से अभिभाषक श्री नितेश वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 251 रा0टी0एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ग्राम खैराबाद की खसरा नम्बर 1710 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से रास्ते के पत्थर हटा कर रास्ता खुलासा करने बाबत हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित रूप से जांच किये बिना ही व मौके का निरीक्षण किये बिना ही मौके की स्थिति के विपरीत जाकर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 1710 की भूमि में अथवा उसकी दक्षिणी मेड पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थीगण का पूर्व का रास्ता खसरा नम्बर 3427/1711 व खसरा नम्बर 1711 के मध्य की मेड पर होकर बिलकुल सीधा खसरा नं0 1709 में जाने का बना हुआ है । खसरा नम्बर 1708 व 1709, 1711 की भूमि पुराना खसरा नम्बर 1859 की भूमि का हिस्सा है क्योंकि खसरा नम्बर 1859 के खातेदार ने ही अपनी भूमि में से भूमि बेचान की है तथा उस समय अपनी भूमि में होकर ही रास्ता दिया था । इसी कारण पुराने खसरा नम्बर 1859 के नये खसरा नम्बर 1707, 1708, 1709 व 1711 कायम किये गये इस कारण खसरा नम्बर 3427/1711 व खसरा नम्बर 1711 के बीच में रास्ता दिया गया था इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण रेस्पो0 अपने खेत खसरा नम्बर 1707, 1708,1709 पर आते जाते रहे है । खसरा नम्बर 1710 की भूमि में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है किन्तु जवाब का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तोर पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 1710 की भूमि में रास्ता खुलासा करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । इस कारण हुक्म जेर अपील निरस्त होने योग्य है । खसरा नम्बर 1710 की भूमि पर अपीलान्टान निरन्तर काबिज चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी काबिज है । अपीलान्टान के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 1710 की भूमि में अथवा मेड के सहारे कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है । रेस्पो0 ने अपीलान्टान की उक्त भूमि को अथवा उसके किसी हिस्से को कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में नहीं लिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का खैराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की है जो जो दिनांक 26.4.2022 को प्रस्तुत की गयी जिसमें स्पष्ट रूप से आलेखित किया गया कि खसरा नम्बर 1711 की मेड के सहारे से रास्ता बना हुआ है जो रिकार्ड में दर्ज नहीं है । खसरा नम्बर 1707,1708, 1709 के खातेदारान को खसरा नम्बर 1711 की मेड से होकर निकलने व स्थायी रास्ता दर्ज करवाने धारा 251–ए आरटीए के तहत कार्यवाही करने हेतु सलाह दी गयी किन्तु रेस्पो0 नं0 धारा 251 रा0टी0ए के तहत आवेदन पत्र पेश कर दिया । धारा 251 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम नहीं किया इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर मौके पर कोई रास्ता नहीं होते हुये भी उसे खुलासा करने का आदेश पारित कर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का सन्तुलन वं अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अपीलान्ट के पक्ष में हुक्म जेर अपील की पालना को स्थगित किये जाने में प्रबल है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर हुक्म जेर अपील दिनांक 14.7.2023 सव्यय निरस्त फरमाया जावें । वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय RRT2016(2) प्रस्तुत की है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पो0 द्वारा 251 रा0टी0एक्ट 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ग्राम खैराबाद की खसरा नम्बर 1710 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से रास्ते के पत्थर हटाकर रास्ता खुलासा करने बाबत सही रूप से आदेश प्रदान

किया है जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने झूंठे तथ्यों पर अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान की है वह पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देकर व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का सही अवलोकर कर सही रूप से आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्टगण खसरा नम्बर 1710 की भूमि में होकर मेड के सहारे से होकर अपने खेतों पर आते जाते है जिसको अपीलान्ट द्वारा रास्ता अवरूद्व कर देने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सही रूप से रास्ता खुलासा करने का आदेश प्रदान किया है । अतः अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज फरमायी जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.7.2023 के विरूद्व दिनांक 22.8.2023 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है जो मियाद अवधि 30 दिवस अवधि के बाद पेश है किन्तु धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को ध्यान में रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 1710 की दक्षिणी मेड पर जो रास्ता खुलासे का आदेश पारित किया है उस पर से रेस्पोडेन्टगण कभी भी अपने खेत खसरा नम्बरा1707,1708,1709 पर जाने का कोई रास्ता नही था, ना ही कभी खसरा नम्बर 1710 में से होकर अपने खेतों तक गये है । तथा अपनी बहस में यह भी उल्लेख किया है कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.4.2022 अनुसार अपने खेतों तक जाने के लिए खसरा नम्बर 1711 की मेड से होकर निकलने व स्थायी रास्ता अन्तर्गत धारा 251–ए रा0टी0एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.4.2022 की फोटो प्रति है इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.3.2023 मूल प्रति संलग्न है इस रिपोर्ट के आधार पर ही तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा निर्णय पारित किया है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.3.2023 अनुसार खसरा नं0 1771 से खसरा नं0 3427/1711 से लगवा पूर्व में प्रचलित पारम्परिक रास्ता दर्ज है जो खसरा नम्बर 1710 की दक्षिणी मेड से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 1707,1708,1709 पर आने जाने का रास्ता बना हुआ अस्थायी रास्ता बताया है किन्तु रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है जिसे अप्रार्थी अपीलांट द्वारा बन्द कर दिया गया है । मौके की उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रार्थीगण रेस्स्पो0 के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर केवल आने जाने के लिए रास्ता खुलासा कराने के आदेश दिये है, नया रास्ता कायमी के आदेश नहीं दिये है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय RRT2016(2) तहसीलदार द्वारा रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में है इस अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा रास्ता खुलासा गया गया है इस हेतु इस न्यायिक निर्णय इस अपील में लागू नहीं होते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खेतों पर आने जाने का रास्ता अपीलान्ट द्वारा बन्द कर दिया जाने से खसरा नम्बर 1710 की दक्षिणी मेड के सहारे से बन्द रास्ते को प्रार्थीगण रेस्पो0 के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए खुलासा कराया गया है, नया रास्ता कायम नहीं किया है । जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.2023 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा